



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08092026-276058
CG-MH-E-08092026-276058

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 698]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 31 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 764(अ.). — रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम 2008 के रूप में संदर्भित) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने के बाद कि लोक प्रयोजन के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में समलाया रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज (8.40 किमी) और लोटाना बाईपास लाइन (7.55 किमी) परियोजना सहित डभोई - समलाया (46.45 किमी) का आमान परिवर्तन, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है;

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 डी की उप-धारा (I) के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी नामत प्रांत अधिकारी डभोई & वाघोडिया, तालुका सेवासदन कार्यालय डभोई, जिला वडोदरा को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और कर सकता है। ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों की अनुमति दें या अस्वीकार करें;

उक्त अधिनियम की धारा 20 (डी) की उप-धारा (II) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के तहत कवर की गई भूमि की योजना और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना सहित अथवा संरचना रहित अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण,
नामत: गुजरात राज्य में समलाया रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज (8.40 किमी) और लोटाना बाईपास लाइन (7.55 किमी)
परियोजना सहित डभोई - समलाया (46.45 किमी) का आमान परिवर्तन।

राज्य : गुजरात

जिला : वडोदरा

क्रमांक	नया सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
गाँव: प्रयागपुरा		तालुका: दभोई		
1	286	निजी	कृषि	119
कुल (वर्गमीटर)				119
गाँव: नारणपुरा		तालुका: दभोई		
1	78	निजी	कृषि	206
2	28	निजी	कृषि	1000
कुल (वर्गमीटर)				1206
गाँव: करमर्लियापुरा		तालुका: वाघोडिया		
1	605	निजी	कृषि	2056
2	167	निजी	कृषि	500
कुल (वर्गमीटर)				2556
गाँव: जाम्बुवाडा		तालुका: वाघोडिया		
1	40	निजी	कृषि	3590
कुल (वर्गमीटर)				3590
गाँव: व्यारा		तालुका: वाघोडिया		
1	1668, 1668/2	निजी	कृषि	540
2	1468, 1468/2	निजी	कृषि	109
3	1469/2	निजी	कृषि	61
4	1465/2	निजी	कृषि	80

5	1606, 1606/P2	निजी	कृषि	307
6	1665/k	निजी	कृषि	641
7	1735	निजी	बिन-कृषि	216
कुल (वर्गमीटर)				1954
गाँव: तवरा		तालुका: वाघोड़िया		
1	493	निजी	कृषि	36
कुल (वर्गमीटर)				36
गाँव: वाघोड़िया		तालुका: वाघोड़िया		
1	627	निजी	बिन-कृषि	493
2	619	निजी	बिन-कृषि	587
3	2000	निजी	कृषि	244
4	363	निजी	कृषि	569
कुल (वर्गमीटर)				1893
गाँव: सनोली		तालुका: वाघोड़िया		
1	527 (232/1)	निजी	कृषि	5600
2	233	निजी	कृषि	4500
3	234	निजी	कृषि	1000
4	235	निजी	कृषि	1200
5	231 (231/P1)	निजी	कृषि	4500
6	105	निजी	कृषि	2500
कुल (वर्गमीटर)				19300
गाँव: व्यंकटपुरा		तालुका: वाघोड़िया		
1	385	निजी	कृषि	213
कुल (वर्गमीटर)				213
गाँव: जरोद		तालुका: वाघोड़िया		
1	779	निजी	कृषि	1500
2	1322, 1323	निजी	कृषि	5361
3	1840, 1841, 1842	निजी	कृषि	13557
4	955/2	निजी	कृषि	834
कुल (वर्गमीटर)				21252

[फा.सं. E- 379287-13]

तरुण डंडोतिया, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 31st August, 2026

G.S.R. 764(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act 2008), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Gauge Conversion of Dabhoi Samalaya (46.45 Km) including Samlaya Railway fly over bridge (8.40 Km) and Lotana bye pass line (7.55 Km) Project in District Vadodara in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer Dabhoi & Waghodiya, Taluka Seva sadan office Dabhoi, District Vadodara, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely: Gauge Conversion of Dabhoi Samlaya (46.45 Km) including Samlaya Railway fly over bridge (8.40 Km) and Lotana bye pass line (7.55 Km) Project in the state of Gujarat.

State: GUJARAT**District: Vadodara**

Sr.No.	New Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)
Village :Prayagpura		Taluka: Dabhoi		
1	286	Private	Agriculture	199
Total Sqm				199
Village :Naranpura		Taluka: Dabhoi		
1	78	Private	Agriculture	206
2	28			1000
Total Sqm				1206
Village :Karmaliyapura		Taluka: Waghodia		
1	605	Private	Agriculture	2056
2	167	Private	Agriculture	500
Total Sqm				2556
Village :Jambuwada		Taluka: Waghodia		
1	40	Private	Agriculture	3590
				3590
Village :Vyara		Taluka: Waghodia		
1	1668, 1668/2	Private	Agriculture	540
2	1468, 1468/2	Private	Agriculture	109
3	1469/2	Private	Agriculture	61
4	1465/2	Private	Agriculture	80
5	1606, 1606/P2	Private	Agriculture	307
6	1665/K	Private	Agriculture	641
7	1735	Private	Non-Agriculture	216
Total Sqm				1954
Village :Tavra		Taluka: Waghodia		
2	493	Private	Agriculture	36
Total Sqm				36

Village :Waghodia			Taluka: Waghodia	
1	627	Private	Non-Agriculture	493
2	619	Private	Non-Agriculture	587
3	2000	Private	Agriculture	244
4	363	Private	Agriculture	569
Total Sqm				1893
Village :Sanoli			Taluka: Waghodia	
1	527 (232/1)	Private	Agriculture	5600
2	233	Private	Agriculture	4500
3	234	Private	Agriculture	1000
4	235	Private	Agriculture	1200
5	231 (231/P1)	Private	Agriculture	4500
6	105	Private	Agriculture	2500
Total Sqm				19300
Village :Vyankatpura			Taluka: Waghodia	
1	385	Private	Agriculture	213
Total Sqm				213
Village : Jarod			Taluka: Waghodia	
1	779	Private	Agriculture	1500
2	1322, 1323	Private	Agriculture	5361
3	1840, 1841, 1842	Private	Agriculture	13557
4	955/2	Private	Agriculture	834
Total Sqm				21252

[F.No. E.- 379287-13]

TARUN DANDOTIYA, Chief Engineer (Const.)-II